# फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/110 बअनवान भंवरलाल वगैरा बनाम लीला वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 01/09/25 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।<br>वकील अप्रार्थी संख्या 05 को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी गई कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तांतरण करने पर आमादा है जिससे मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी।<br>पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवाद संबंधी कोई मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये है। जिससे प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नही है। जिससे प्रार्थी द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1246/2, 1256 कुल खसरा 02 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली<br>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली | |

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *